



❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖



पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर-302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ / 2023-24 / 6188
निमित्त,

दिनांक 24-05-2023

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर।

विषय:- प्रस्ताव "Construction of road from NH-8 KM stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil- Viratnagar, Dist.- Jaipur (Raj.) & Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021 के संबंध में।

सन्दर्भ:- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राज0, जयपुर के पत्रांक एफ.14(PWD) 2021 / एफसीए/प्रमुवसं/5402-03 दिनांक 24.03.2023 व उक्त प्रकरण में आपके कार्यालय द्वारा जारी ऑनलाईन EDS दिनांक 5.04.23 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के Fil No. 8 बी/राज 048/2022-JPR Date 29 th August, 2022 के क्रम में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राज0, जयपुर के पत्रांक एफ.14(PWD) 2021 / एफसीए/प्रमुवसं/5402-03 दिनांक 24.03.2023 के द्वारा उक्त प्रस्ताव में जारी किये गये EDS का बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार तैयार कर आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

क्र.सं.	कमियां	जवाब
1.	बिन्दु संख्या 1 की पालना अपूर्ण हैं, प्राप्त पालना में सड़क निर्माण वन भूमि में वर्ष 1992-94 में बिना सक्षम स्वीकृति के किया जा चुका है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन नहीं मानने का क्या कारण है, स्पष्ट नहीं है।	कार्यालय सहायक अभियन्ता सा. नि. वि. उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय, विराटनगर के पत्र क्रमांक SP-1 दिनांक 1.05.2023 (संलग्न) के अनुसार उक्त सड़क का निर्माण RSAMB द्वारा 1992-94 के मध्य कराया गया था। सा.नि.वि. द्वारा उक्त सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है। RSAMB द्वारा उक्त सड़क सा.नि.वि. को वर्ष 2013-14 में दी गई। अतः उक्त सड़क के निर्माण हेतु सा.नि.वि. अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। चूंकि उक्त क्षेत्र में 0.042 हैक्ट. में सड़क निर्मित है। जो कि सक्षम स्वीकृति के बनी है। उक्त में भारत सरकार/राज्य सरकार जो भी दण्डात्मक राशि निर्धारित की जावेगी वह विभाग द्वारा जमा करा दी जावेगी एवं तदनुसार बचनबद्धता संलग्न है।
2.	As per DSS analysis, pre-plantation operation within the proposed CA land is visible through Google imagery. Thus State Govt. is requested to submit the clarification or revised CA area.	CA DFL area की Location में संशोधन कर दिया गया है।

संलग्न :- 1. उपरोक्तानुसार 4 सेट में।

2. सेरोक्षित क्षति दर (259 रु.) से बनाया गया जानकारी संलग्न है।

भवदीय,

(मनफूल बिश्नोई)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ / 2023-24 /

दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय

क्रमांक:- 8p-L
सेवामें,

दिनांक :- 1/05/2023



श्रीमान् उप वन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)

विषय :- Diversion of 0.9885 Hect. Forest land in favour of Public works Department Rajasthan for Construction of road from NH8 Km Stone No.181 (Antela) to SH-08A (KhachriyawasKalyanpura Renwal) Km 0/00 to 13/00, Tehsil-Viratnagar, District Jaipur (Rajasthan)" Proposal No. FP/RJ/Road/144437/2021 के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक एफ() FCA/उक्संजउ/2022-23/5445 दिनांक 24.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि विभाग द्वारा ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव Construction of road from NH8 Km Stone No.181 (Antela) to SH-08A (KhachriyawasKalyanpura Renwal) Km 0/00 to 13/00, Tehsil-Viratnagar, District Jaipur (Rajasthan) Proposal No. FP/RJ/Road/144437/2021 में वन विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त लगाये गये आक्षेपो की पूर्ति निम्नानुसार की जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत है -

क्र.सं.	आक्षेप	जवाब
1.	बिन्दु संख्या 1 की पालना अपूर्ण है, प्राप्त पालना में सड़क निर्माण वन भूमि में वर्ष 1992-94 में बिना सक्षम स्वीकृति के किया जा चुका है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं मानने का क्या करण है, स्पष्ट नहीं है।	उक्त के क्रम में निवेदन है कि उक्त सड़क का निर्माण RSAMB द्वारा 1992-94 के मध्य कराया गया था। सा. नि.वि. द्वारा उक्त सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है। RSAMB द्वारा उक्त सड़क सा.नि.वि. को वर्ष 2013-14 में दी गई। अतः उक्त सड़क के निर्माण हेतु सा.नि.वि. अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। चूंकि उक्त क्षेत्र में 0.042 हैक्ट. में सड़क निर्मित है। जो कि सक्षम स्वीकृति के बनी है। उक्त में भारत सरकार/राज्य सरकार जो भी दण्डात्मक राशि निर्धारित की जावेगी वह विभाग द्वारा जमा करा दी जावेगी एवं तदनुसार बचनबद्धता संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(मनफूल बिश्नोई)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

भवदीय
सहायक अभियन्ता
सा.नि.विभाग उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय
(अनिल कुमार मीना)
सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-II जयपुर

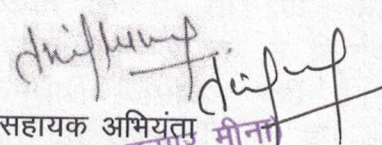
विषय:- Diversion of 0.9885 Hect. forest land in favour of PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN for Construction of Road from NH-8 KM Stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00 , Tehsil-Viratnagar ,District -Jaipur (Rajasthan)" Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021

अण्डरटेकिंग वास्ते दण्डात्मक राशि जमा कराने हेतु

मैं, सहायक अभियंता, सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-II द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि Construction of Road from NH-8 KM Stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil-Viratnagar ,District -Jaipur (Rajasthan) हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार जो भी दण्डात्मक राशि निर्धारित की जावेगी वह सा.नि.वि. विभाग द्वारा जमा करा दी जावेगी। इस हेतु विभाग वचनबद्ध है।

दिनांक - 01.05.2023


(मनफूल बिश्नोई)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

हस्ताक्षर

सहायक अभियंता
सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-II
सहायक अभियंता
सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-II जयपुर